05/2/25 को पेश हो।

रीडर

05/02/25 पत्रावली प्रस्तुत उपस्थित प्रार्थी

अधिवक्ता RTA पर पुनः बहस सुनी

गई। पत्रावली प्रार्थी के ब्यान रहे

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्डावर (खैरथल तिजारा)

मनफूल पुत्र मा...
प्रार्थना पत्र RTA

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	कि प्रार्थी विवादित आराजी पर विलेख उन्मूलन अधिनियम से पूर्व से काबिज काश्त है लेकिन राजस्व कर्मचारियों की गलती से राजस्व रिकॉर्ड में भिन्न प्रार्थी के नाम का अंकन शिकमी में भी दर्ज चला आ रहा है। अतः शिकमी के अंकन को खारिज कर राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त फरमाया जावे। विवादित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 01 ता 04 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 07 ता 18 के पिता/दादा व तरतीबी अप्रार्थी संख्या 19 व 20 के नाम का अंकन शामलात में दर्ज होने व शामलात में ही काश्त चले का बेजा फायदा उठा कर अप्रार्थी संख्या 01 ता 04 विवादित आराजी के भाग को बेचान करने पर उतारू हो रहे हैं तथा प्रार्थी को बेदखल करना चाहते हैं। प्रार्थी का अप्रार्थी संख्या 01 ता 04 के साथ सामलात में काश्त करना संभव नहीं रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने हिस्से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड का तकासमा बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स कराने का अधिकारी है। अतः अप्रार्थी संख्या 01 ता 04 के विरुद्ध पार्टि अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा हस्ताक्षर सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०) मुण्डावर (कोटकासिम-तिजारा)

मनफूल v/s श्रीराम
[illegible] RTA

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
ताकि फैसला मुताबिक रजिस्टर्ड कर दी जावे एवं आराजी का बाई मीरस एण्ड बाउण्ड तकसीमा कराया जावे। वकील अप्रार्थीगण संख्या 01 व 04 के वकील का कथन है कि यह सही है कि विवादित आराजी सामलाती कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण द्वारा आराजी का मौखिक बंटवारा अर्सा-दराज से कर काबिज काश्त हैं। मौके पर कब्जे के बाबत कोई विवाद नहीं है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा उन्हें परेशान करने की नीयत से पारित कराई है। अप्रार्थीगण को केवल लहकाश्तकार होने के कारण अपने हिस्से आराजी को रहन नामा करने से रोकना एवं उभय पक्षकारान को पाबन्द नां कर केवल प्रार्थीगण को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाना प्रार्थीगण को आराजी के उपयोग उपभोग एवं प्रतिफल प्राप्त करने से रोकना उनके मूल अधिकारों को रोकना एवं कानूनी अधिकारों से वंचित करने की संज्ञा में सही सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०) मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)	

मनफूल V/S श्रीराम
प्रार्थना पत्र 212 RTA

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	आता है। अतः अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त की जावे ताकि अप्रार्थीगण समुचित एवं सम्पूर्ण रूप से अपने हिस्से आराजी का उपयोग उपभोग कर सकें।
	हमने उभय पक्षकारान के अभिभाषक गण की बहस पर मनन किया। पत्रावली में संलग्न कागजात का अवलोकन किया। पूर्व में आदेशिका दिनांक 15-6-2022 में वकील प्रार्थी की आपत्ति पर अप्रार्थी सं. 1 के हिस्से आराजी तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मुक्त (निष्प्रभावी) कर दिया गया है इस न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 15-07-2020 को निरस्त कर दिये जाने प्रार्थी के हक हकूकों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना प्रतीत नहीं होती है। साथ ही अप्रार्थीगण को उनके हिस्से आराजी से सम्पूर्ण रूप से उपयोग - उपभोग करने एवं उसका प्रतिफल पाने को रोकना तथा अंतरिम अस्थाई
	Sd/-
	सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०) मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)
	(सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) मुण्डावर)

नानफूल vs श्रीराम
प्रा०पत्र 212 RTA

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
निषेधाज्ञा को मूलवाद के निर्णय तक येथुस्थ रखा न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।	
अतः इस न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 15-07-2020 निरस्त की जाती है पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील संलग्न मूल वाद रहे।	
आदेश आज दिनांक 05/02/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।	
(हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०) मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)	